उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
Uttar Pradesh University of Medical Sciences,
Saifai, Etawah- 206130 (www.upums.ac.in)

पत्र संख्याः 3667/यूपीयूएमएस /परीक्षा वि0 (68)/2025–26 दिनांकः 04 नवम्बर, 2025

सेवा में,

संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय, दन्त विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं फॉर्मेसी संकाय) समस्त विभागाध्यक्ष (मेडिकल)
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई।

विषयः विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में टेबल एजेण्डा –3 एवं एजेण्डा बिन्दु 13–26 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुपालन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपको अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 11.10.2025 को आयोजित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं पर अनुमोनदन प्रदान किया गया हैः–

- टेबल एजेण्डा–3 के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों में पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया प्रचलित न होने के कारण विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परीक्षा के उपरान्त पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
- एजेण्डा बिन्दु 13–26 ''विश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं की शार्ट अटेण्डेंस के सम्बन्ध में निति निर्धारण'' विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं की उपस्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित काउन्सिल के नियम लागू होंगे। शॉर्ट अटेंडेंस के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था लागू किए जाये।

1. Remedial Classes/Assignment कराते हुए उसके आधार पर कुल उपस्थिति की गणना किया जाना प्रस्तावित है।
2. यदि छात्र/छात्राएं संकायाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के वर्कशॉप/कान्फ्रेंन्स/इंटर कॉलेज फेस्टिवल व इंस्टीट्यूशनल फेस्टीवल में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें उपस्थित माना जा सकता है और इस आधार पर उपस्थिति में छूट प्रदान की जा सकती हैं।
3. चिकित्सकीय कारणों या अन्य यथोचित कारणों की स्थिति में, चिकित्सीय अवकाश की अवधि को घटाते हुए मात्र एक विषय में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। यह छूट केवल माननीय कुलपति महोदय के स्तर से ही अनुमोदित की जाएगी।

अतः उपरोक्त एजेण्डा बिन्दुओं को अनुपालन करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

(डा0 आलोक दीक्षित)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषितः–

1. कुलसचिव/सदस्य सचिव–कार्यपरिषद।
2. प्रमुख निजी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर Examination लिंक के Examination General Notice & SOP में अपलोड कराने का कष्ट करें।

(डा0 आलोक दीक्षित)

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) - 206 130

122

सं0: 3307 / यूपीयूएमएस / प्रशासन(2112–सी0डी0) / 2025–26 दिनांकः 17 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

1. **परीक्षा नियंत्रक,**
2. **समस्त संकायाध्यक्ष,**

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

विषयः विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में टेबल एजेण्डा–3 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.2025 को आयोजित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में **टेबल एजेण्डा–3 "विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की एस0ओ0पी0 में पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में"** के अन्तर्गत निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया थाः–

प्रस्तावः के0जी0एम0यू0, लखनऊ में पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया प्रचलित में नहीं है इसलिए विश्वविद्यलाय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के स्नातक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परीक्षा के उपरान्त पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में मा0 कार्य परिषद के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों में पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया प्रचलित न होने के कारण विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परीक्षा के उपरान्त पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्य्रवाही करने तथा कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को 15 दिवसों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव–कार्य परिषद

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख निजी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कुलसचिव।
3. गार्ड फाइल।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव–कार्य परिषद

Subhash
Issue an order and file (SOP)
21/10/25

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) - 206 130

121

सं0: 3285 / यूपीयूएमएस / प्रशासन(2112–सी0डी0) / 2025–26 दिनांकः 17 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

1. **समस्त संकायाध्यक्ष,**
2. **परीक्षा नियंत्रक,**

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

विषयः विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में एजेण्डा बिन्दु 13–26 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुपालन के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.2025 को आयोजित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में **एजेण्डा बिन्दु 13–26 "विश्वविद्यालय में छात्र / छात्राओं की शार्ट अटेण्डेंस के सम्बन्ध में नीति निर्धारण"** के अन्तर्गत निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया थाः–

प्रस्तावः विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र / छात्राओं की उपस्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित काउन्सिल के नियम लागू होंगे। शॉर्ट अटेंडेंस के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था लागू किए जाने का प्रस्ताव है–

1. Remedial Classes/Assignment कराते हुए उसके आधार पर कुल उपस्थिति की गणना किया जाना प्रस्तावित है।
2. यदि छात्र / छात्राएं संकायाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से वर्कशॉप / कान्फ्रेंन्स / इंटर कॉलेज फेस्टिवल व इंस्टीट्यूशनल फेस्टीवल में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें उपस्थित माना जा सकता है और इस आधार पर उपस्थिति में छूट प्रदान की जा सकती है।
3. चिकित्सकीय कारणों या अन्य यथोचित कारणों की स्थिति में, चिकित्सीय अवकाश की अवधि को घटाते हुए मात्र एक विषय में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। यह छूट केवल माननीय कुलपति महोदय के स्तर से ही अनुमोदित की जाएगी।

मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

कार्य परिषद का निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उक्त निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को 15 दिवसों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव–कार्य परिषद

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख निजी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कुलसचिव।
3. गार्ड फाइल।

Subhash
Issue order
21/10/25

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव–कार्य परिषद